

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज अदालत..... सहायक जज (SDO) काचतु मुकाम.....

(SDO) काचतु

उपस्थित

बनाम

मांगु खां

किस्म मुकदमा रा-डाकेदन 111,128 RCR नं 174/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>21/04/2022</p> <p>05/05/2022</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री महावीर जीतगर</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RCR</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05/05/2022 को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी यह भी उपस्थित। विप्रापीतिगो के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी मिश्रवादी गभने जिनकी डिप्लोमा रालिने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पेश की गई जिसे तामील पत्रावली तिथा गभना, विप्रापीतिगो वावुड तामील अनुपस्थित। तामापालका समय तीन बार कौवाज पठाई गई कौन्तिम प्रौवाज, 5.45 pm पर पठाई गई विप्रापीतिगो स्वयं या उनही फीट से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ तामिनाज विप्रापीतिगो के विरुद्ध एडवकरमा डारिवादी तामल में लाई जाती है।</p> <p>कृत: वास्ते एवम पत्रावली दिनांक-01/06/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक जज (SDO) काचतु</p> <p>बाडनेर</p>

सहायक जज (SDO) काचतु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

01/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण्डे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

बायतु

जिला - बाड़मेर

न्यायालय

क्र. : बा. / 2022 / 901
प्रार्थी

1. इब्राहिम पुत्र रिमजु ख.
जाति तेली, निवासी
की डाणी, पटव.
तहसील बा.

प्रार्थन

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 901
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 01/06/2022
विप्रार्थीगण

1. इब्राहिम पुत्र रिमजु खां,
जाति तेली, निवासी आहोणी बैनिवालों
की ढाणी, पटवार मण्डल माधासर,
तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. मांगु खां पुत्र फतेह खां वगैरा 04,
जाति तेली, निवासी आहोणी बैनिवालों
की ढाणी, पटवार मण्डल माधासर,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 174 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - आहोणी बैनिवालों की ढाणी, पटवार हल्का - माधासर, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 693, 806/694 रकबा क्रमशः 0.0243, 4.0531 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 01/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 902 - 906

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री इब्राहिम पुत्र रिमजु खां,
4. विप्रार्थी श्री मांगु खां पुत्र फतेह खां वगैरा 04,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु